रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार 13.1.88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1987/अग्रहायण 14, 1909
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1987/AGRAHAYANA 14, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1987

शुद्धिपत्र

सा०का०नि० 898.—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 558 तारीख 2 जून, 1987 में जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उप-खंड (1) तारीख 25 जुलाई, 1987 को पृष्ठ 1883 से 1898 पर प्रकाशित हुई है।

(क) पृष्ठ 1884 पर स्तम्भ 13 में पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, अर्थात् :—

"टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।"

(ख) पृष्ठ 1885 पर,

(i) स्तम्भ 8 में—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

"या

सात वर्ष तक राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा है।"

(ii) पंक्ति 8 और पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें—
"राज्य के विधि विभाग में 7 वर्ष तक पद धारण किए हो या केन्द्रीय सरकार का सेवक जिसे विधि कार्य में 7 वर्ष का अनुभव हो।"

(ग) पृष्ठ 1886 पर स्तम्भ 12 पंक्ति 12 में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें :

(घ) पृष्ठ 1884 पर स्तम्भ 12, पंक्ति 11 में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें।

(ङ) पृष्ठ 1890 पर

(i) स्तम्भ 12 में पंक्ति 4 (पैरा ख) में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें।

[सं. ए. 12018(4)/86-प्रशा. III वि.का.]

एस. एन. धीर, अवर सचिव

87/1662 GI—1

1	2	3	4	5	6	7	8
						Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : 2 (Two), years experience in motion picture photography.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'B' Departmental Promotions Committee (for confirmation) 1. Deputy Director General, Doordarshan——Chairman 2 Deputy Director General (Personnel) Doordarshan—Member 3. Controller of Programmes, Doordarshan—Member NOTE: The proceedings of the Departmental Promotions Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meetin g of the Departmental Promotions Committee to be presided over by the Chairman or Member of the Commission shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment.

[No. 501/1/87-TV (A)]

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1987

सा.का.नि. 910.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन महानिदेशालय में डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् --

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन महानिदेशालय डाटा एंट्री आपरेटर भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लागू होना--ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान:--उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

4 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि--भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है ।

5 निरर्हता:---वह व्यक्ति---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद का नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और/या कार्मिक तथा प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार विभाग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7 व्यावृत्ति:---इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में डाटा एंट्री आपरेटर के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
डाटा एंट्री आपरेटर	*1(1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	1200-30-1560-द रो-40-2040 रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा	उच्च श्रेणी लिपिक या समतुल्य (1200-2040 रुपये) । निम्न श्रेणी लिपिक या समतुल्य (950-1500 रु.), जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 3/6/86-स्टाफ II/IV/टी.वी. (ए)]

New Delhi, the 3rd November, 1987

G.S.R. 910.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Data Entry Operator in Directorate General, Doordarshan, namely :—

1. Short titles and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General Doordarshan Data Entry Operator Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, their classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4 Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and/or standing instructions of the Department of Personnel and Training and Administrative Reforms relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Game of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension Rules,) 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
Date Entry Operator	*1 (1987)	General Central Service Group 'C'	Rs.1200-30-1560 EB-40-2043	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	

*Subject to variation depending on work-load

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	Not Applicable	By deputation.	Upper Division Clerk or equivalent (Rs. 1200-2040)/ Lower Division Clerk or equivalent (Rs. 950-1500) with 8 years service in the grade.	Not Applicable	Not Applicable

[No. 3/6/86-S. II (S. IV)/TV (A)]